XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक अपील 2041–एक/15

जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–7–15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 187/अ–21/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 18–5–15 से परिवेदित म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की ग्राम ऐंठाखेड़ा नं.बं. 79 प.ह.नं. 36/25 रा.नि.मं. जबलपुर–2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 242/3, 242/4 एवं 242/5 रकबा कमशः 0.86, 0.87 एवं 0.40 के विकय की अनुमति हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया । आवेदन पर की जा रही कार्यवाही को कलेक्टर ने इस आधार पर जिसे समाप्त किया है कि आवेदक लंबे समय से अनुपस्थित है और नोटिस भेजे जाने पर पता चला कि वह बाहर गया है, कलेक्टर की उक्त कार्यवाही न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि जो सूचनापत्र है उसके आधार पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करना न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है, आवेदक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि अपीलार्थी की क्रय की हुई भूमि है शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है तथा तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के बाद भी अपीलार्थी के नाम 2.36 हैक्टर भूमि शेष रहेगी जो उसके भरण पोषण के लिए पर्याप्त है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी को उचित बाजार मूल्य प्राप्त हो रहा है । प्रकरण में चूंकि तहसीलदार एवं एस.डी.ओ. द्वारा जांच उपरांत अपीलार्थी को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने की अनुशंसा के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को देखते हुए कि क्रेता अब उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से कीमत दे रहा है, इससे आवेदक को पूर्व से अधिक कीमत प्राप्त होगी । ऐसी स्थिति में उसे प्रश्नाधीन भूमि की अनुमति दिए जाने में उसके आर्थिक हितों का हनन नहीं होगा । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है एवं यह अपील इसी स्तर पर स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम ऐंठाखेड़ा स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 242/3, 242/4 एवं 242/5 रकबा क्रमशः 0.86, 0.87 एवं 0.40 के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :– 1– यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2015–16 की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – जबलपुर

प्रकरण कमांक अपील 2041–एक / 15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	2– केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– केता द्वारा विकयपत्र प्रस्तुत करने पर विकय धन विकेता (आवेदक) के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विकयपत्र का पंजीयन किया जायेगा । 4– भूमि के विकयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । उभयपक्ष सूचित हों । सदस्य	

5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–जबलपुर अपील 2041-I-15

सुखलाल गौड पुत्र श्री मिठाई लाल गौड निवासी ग्राम मझगंवा तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) .... अपीलार्थी

श्री .... द्वारा आज दि. 3-7-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. समीर खांन पुत्र श्री मोहम्मद अशफाक कुरैशी निवासी मकान नं. ब्लॉक नं. 3 मानसरोवर कालौनी आधारताल जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जबलपुर ...... प्रत्यर्थीगण

3/7/15

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 187/अ–21/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नाकिंत निवेदन है कि :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। कि मौजा ऐंठाखेडा प.ह.न पुराना 36 नया 35 न.वा.79 रा.नि.म. जबलपुर–2 तहसील व जिला जबलपुर में स्थित खसरा नं. 242/5 रकवा 0.40 है0, खसरा नं. 242/3 रकवा 0.860 है0, खसरा नं. 242/4 रकवा 0.870 है0 कुल 213 है0 भूमि जोकि अपीलार्थी के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की है। जिसपर अपीलार्थी का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि कम उपजाऊ असिंचित ऊबड़ खाबड़ है जिसपर सिचाई का कोई साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को विक्रय कर अपनी अन्य कृषि भूमि को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से उसके द्वारा भूमि के विक्रय का अनुबंध प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से कर लिया है। ऐसी स्थिति में उसे विक्रय की अनुमति दी जायें।
3. यहकि, कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे तहसीलदार जबलपुर से जॉच प्रतिवेदन बुलाया उसमें बताया गया कि अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की गाईड लाईन के आधार पर अधिक प्रतिफल मिल रहा है, और